

# Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2023/65

Number of Case

A/29/ Year 2023

बिरमाराम

Versus बाबूलाल व अन्य

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
25/07/24	<p>पत्रावली पेश/ वकुलाम उप/ उन्नयपत्र बहस सुनी गई। मुताबिक बहस अचि. वादी - गाँव कारकैलाव, ख. सं. 1113(05-02 बीघा), ख. सं. 1175। (01 बिस्वा), ख. सं. 1176। (12 बीघा) प्रार्थी, अग्रार्थी सं. 01 की संयुक्त खातदारी भूमि है। यह भूमि पूर्व में प्रार्थी, अग्रार्थी सं. 01 के पिता के नाम दर्ज थी। पिता के देहांत बाद उनके वारिसान बाबूलाल, बिरमाराम, मीरगा के का. मु. के नाम भूमि दर्ज हुई। मीरगा के वारिसान द्वारा अपना 1/3 हि. प्रार्थी को हस्तांतरण कर दिया गया, जिसका revenue record में इंट्रोज कर लिया गया है। विवादित भूमि में प्रार्थी का 1/3 हि.; अग्रार्थी सं. 01 का 1/3 हि. है। अतः अग्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि मौका खं record की ग्यारिषति बनी रहे।"</p> <p>मुताबिक बहस अचि. प्रति -  " फुलाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही भूमि का विभाजन 1/2-1/2 प्रार्थी, अग्रार्थी सं. 01 के मध्य कर दिया गया। फुलाराम का फौतगी mutation बिना मौके की जांच भरा गया है। उक्त mutation निरस्त करवाने हेतु प्रकरण A.S.M Rural के पास विचाराधीन है। अतः प्रा. पत्र जारी फरमाया जावे।"</p> <p>उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों</p>	

**FORM No. 123**  
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

# Order Sheet

CNR NUMBER 2023/65

Court of सहायक कलक्टर (फाईलिंग) at जोधपुर  
Kind of the Case U/S 212 R.T.A-1955  
Number of Case A/29/ Year 2023  
बीरमाराम Versus बाबुलाल व अन्य

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	<p>के आचार पर प्रा. पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- " चूंकि प्राची विवादित भूमि के 2/3 हि. का recorded स्वतंत्र है अतः प्रथम-दृष्टया मामला प्राची के पत्र में तय होता है। यदि विवादित भूमि पर विनाजन से पूर्व निर्माण किया जाता है तो प्राची को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है। अतः प्राची का प्रा. पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्राची, अप्राची सं. 01 को तर्फे सला मूलवाद इस आशय की भर्खाई निषेधना से पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि पर कच्चा/पक्का निर्माण कार्य ना हो, विशेष भू-भाग दर्शाते हुए बैचान ना हो।" आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फेंसल शुमार होकर दारिबल दफ्तर हो।</p> <p><i>Prinika</i> सहायक कलक्टर (फाइलिंग) जोधपुर</p> 	